

भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - \*134  
उत्तर देने की तारीख : 07.12.2021

निःशक्तता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करना

\*134. श्री कृष्णपालसिंह यादव :

श्री राजबहादुर सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जारी किए गए निःशक्तता संबंधी प्रमाणपत्रों का राज्य-वार तथा मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना निःशक्तता संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु अस्पतालों और ई-मित्र केन्द्रों के लिए दिशानिर्देश बनाने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से प्रमाणपत्र बनाए जाते हैं, की दक्षता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री  
(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

दिनांक 07.12.2021 को उत्तरार्थ "निःशक्तता संबंधी प्रमाणपत्र जारी करना" के संबंध में श्री कृष्णपालसिंह यादव : श्री राजबहादुर सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी) कार्यालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किये गये दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की संख्या अनुबंध-1 में दी गई है । सीसीपीडी कार्यालय द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । तथापि, दिनांक 02.12.2021 को उत्तर प्रदेश सरकार से सीसीपीडी कार्यालय द्वारा यथा प्राप्त जिलेवार आंकड़े अनुबंध-11 में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2018 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को छोड़कर) के तहत शामिल विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था । ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन के लिए दिनांक 25.04.2016 को अधिसूचित दिशानिर्देश लागू हैं । दिव्यांगता का मूल्यांकन करते समय सभी प्रमाणित चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है । इसके अलावा, मंत्रालय ने 5 मई 2021 को एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 01.06.2021 से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र पोर्टल अर्थात् [www.swavlambancard.gov.in](http://www.swavlambancard.gov.in) के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अधिदेशित है । इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) पोर्टल के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने हेतु दिव्यांगजनों के पंजीकरण को समर्थ बनाने के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(घ) यूडीआईडी पोर्टल के एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन, जिसके माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, एक सतत प्रक्रिया है । मंत्रालय समय-समय पर यूडीआईडी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुरक्षा लेखा परीक्षा (ऑडिट) करता है और सर्वर की क्षमता को बढ़ाता है और दक्षता बढ़ाने के लिए जब भी आवश्यक हो अन्य तकनीकी मानदंडों पर ध्यान देता है ।

\*\*\*\*

डॉ कृष्णपाल सिंह यादव और श्री राजबहादुर सिंह द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 07.12.2021 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) के उत्तर में सन्दर्भित अनुबंध I

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किये गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,604
2	आंध्र प्रदेश	11,81,097
3	अरुणाचल प्रदेश	2,907
4	असम	3,44,665
5	बिहार	14,87,357
6	चंडीगढ़	29,054
7	छत्तीसगढ़	2,84,464
8	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	6,069
9	दिल्ली	1,83,160
10	गोवा	19,202
11	गुजरात	5,51,000
12	हरियाणा	3,39,190
13	हिमाचल प्रदेश	95,630
14	जम्मू और कश्मीर	1,79,385
15	लद्दाख	0
16	झारखंड	4,93,012
17	कर्नाटक	12,29,825
18	केरल	3,14,777
19	लक्षद्वीप	1,353
20	मध्य प्रदेश	6,60,313
21	महाराष्ट्र	17,79,545
22	मणिपूर	26,450
23	मेघालय	22,244
24	मिजोरम	12,409
25	नागालैंड	1,752
26	ओडिशा	8,44,250
27	पुद्दुच्चेरी	29,700
28	पंजाब	3,82,081
29	राजस्थान	5,66,157
30	सिक्किम	5,767
31	तमिलनाडु	11,79,303
32	तेलंगाना	7,92,345
33	त्रिपुरा	89,060
34	उत्तर प्रदेश	23,95,120
35	उत्तराखंड	1,28,947
36	पश्चिम बंगाल	17,63,711
	कुल	1,74,25,905

## अनुबंध II

डॉ कृष्ण पाल सिंह यादव और श्री राज बहादुर सिंह द्वारा निःशुल्कता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 07.12.2020 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध II।

31.03.2021 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जिलेवार दिव्यांगता प्रमाण पत्र

क्र.सं.	जनपद का नाम	Total Number of Disability Certificates issued till 31.03.2019	Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.e. 01.04.2019 to 31.03.2020)	Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.e. 01.04.2020 to 31.03.2021)	Total Cumulative till 31.03.2021
1	आगरा	53202	2604	1000	56806
2	फिरोजाबाद	51832	2063	717	54612
3	मैनपुरी	28251	3830	914	32995
4	गुथुरा	34435	1748	809	36992
5	अलीगढ़	22631	2471	1572	26674
6	हाथरस	21422	1168	137	22727
7	एटा	24990	1097	1097	27184
8	कारागंज	19091	1420	611	21122
9	इलाहाबाद	35064	1990	1868	38922
10	कौशांबी	15584	644	457	16685
11	फिरोज़पुर	13522	4244	1338	19104
12	पटनागढ़	54754	1335	1397	57486
13	आज़मगढ़	15929	3304	1167	20400
14	मऊ	29348	740	771	30859
15	बलिया	60845	1764	692	63301
16	बदायूं	32814	1902	3807	38523
17	बरेली	36426	2034	762	39222
18	पीलीभीत	17540	1529	1015	20084
19	शाहजहांपुर	37380	2555	1004	40939
20	बस्ती	25257	1151	645	27053
21	रात कबीरनगर	10977	700	343	12020
22	सिद्धार्थनगर	43584	996	712	45292
23	बिजनौर	24220	987	275	25482
24	इमौरपुर	20042	371	60	20473
25	बांदा	45367	2140	1366	48873
26	गहावा	8119	704	176	8999
27	फैजाबाद	32732	358	1184	34274
28	बाराबंकी	30417	2930	2289	35636
29	अन्वैडकरनगर	23158	1191	740	25089
30	सुल्तानपुर	97047	1121	478	98646
31	अमेठी	10059	1931	1881	13871
32	गोंडाल	33088	4898	1980	39966
33	आगरा	8365	698	384	9447
34	बलरामपुर	10484	1243	797	12524
35	बहराइच	36948	2705	3827	43480
36	गोरखपुर	77228	5061	2440	84729
37	कशीनगर	26542	1345	1245	29132
38	महराजगंज	22707	802	1038	24547
39	देवरिया	11705	2357	739	14801

## DISABILITY CERTIFICATES ISSUED DURING FINANCIAL YEAR 2020-21 (31.03.2021)

क्र. सं.	जनसं. का नाम	Total Number of Disability Certificates Issued till 31-03-2019	Number of Disability Certificates Issued during the Financial Year (i.e. 01.04.2019 to 31.03.2020)	Number of Disability Certificates issued during the Financial Year (i.e. 01.04.2020 to 31.03.2021)	Total Cumulative till 31-3-21
40	झांसी	16758	659	244	17661
41	लीलेतपुर	8016	270	223	8509
42	जसौन	13089	1178	430	14697
43	छानपुर नगर	73690	3870	1436	78996
44	छानपुर देहात	18945	1077	508	20530
45	फरुखाबाद	20125	2618	1880	24623
46	कन्नौज	37655	1422	803	39880
47	इटावा	27537	1147	474	29158
48	औरंगा	25687	833	473	26993
49	लखनऊ	12353	229	631	13213
50	हरदोई	75207	3154	1558	79919
51	रायबरेली	15998	327	378	16703
52	तोतापुर	21399	1823	2560	25784
53	उन्नाव	38851	1427	799	41077
54	जखीमपुर खीरी	14202	4874	1470	20546
55	मथुरा	24375	2182	405	27162
56	मोतीबाबाद	13048	1868	640	15556
57	झुंझुनूर	4956	461	403	5820
58	जौनपुर नगर	7240	749	105	8094
59	बाराबंकी	4739	2503	81	7323
60	बुलंदशहर	61316	3274	2193	66783
61	मिर्जापुर	7710	1608	1262	10580
62	रानिया	15445	846	333	16624
63	संत रविदासनगर	25990	859	500	27349
64	मुसफाबाद	12574	2472	286	15332
65	रामभल	7064	1521	655	9240
66	रामपुर	16596	682	340	17618
67	बिजनौर	51341	2917	1103	55361
68	अमरहा	12586	943	1172	14701
69	राहारनपुर	53278	1585	810	55673
70	मुजफ्फरनगर	31000	4901	1512	37413
71	शामली	7227	1085	923	9235
72	कन्हीली	22508	1827	365	24700
73	मालीपुर	40152	1639	2002	43793
74	जौनपुर	97744	3971	5504	107219
75	वाराणसी	37185	3287	1881	42353
	<b>कुल योग</b>	<b>2176892</b>	<b>138221</b>	<b>80081</b>	<b>2395194</b>

नोट-उपरोक्त सूचना मुख्य विक्रिया अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर संकलित की गयी है।

डॉ. के. के. सिंह  
मुख्य विक्रिया अधिकारी, मथुरा